

जनपद न्यायालय, मेरठ

नीलामी की सूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 823/IX-CPC/eCourts Allahabad, Dated - 10.12.2019 एवं जनपद न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांकित 25.02.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, मेरठ में अनुपयोगी/ पुराने, खराब कम्प्यूटर हार्डवेयर शासनादेश संख्या 1393/78-2-2011-26 आई0टी0/2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 06 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर सिस्टम व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने एवं वर्णित उपकरणों की नीलामी हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। इसी क्रम में 06 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर सिस्टम व उनके सहवर्ती उपकरणों की नीलामी हेतु की गयी संस्तुती के अनुक्रम में संलग्न सूची में वर्णित उपकरणों की नीलामी हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। जिसका न्यूनतम मूल्य दर रु० 12670 है। निविदा बन्द लिफाफे में केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ में दिनांक 25.03.2022 को अपरान्ह 12 बजे तक ली जायेगी तथा दिनांक 26.03.2022 को समय 04:00 बजे समिति द्वारा खोलकर निस्तारित की जायेगी। निविदाकर्ताओं के मूल्य रु० 1000.00 बतौर धरोहर/प्रतिभू सेन्ट्रल नाजिर के निर्देशन में कैशियर नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ को जमा करवानी होगी। जिसके पक्ष में निविदा स्वीकार होगी उसके अलावा समस्त निविदाकर्ताओं के द्वारा जमा धरोहर/प्रतिभू राशि वापस कर दी जायेगी। निष्प्रयोज्य घोषित किये गये सभी कम्प्यूटर सिस्टम व उसके सहवर्ती उपकरणों को निविदाकर्ता दिनांक 28.03.2022 का कार्य दिवस में सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय मेरठ के माध्यम से देख सकते हैं। निविदादाता नियत समय पर उपस्थित होकर कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे। निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ को होगा एवं विवाद की स्थिति में जनपद न्यायालय मेरठ को ही क्षेत्राधिकार होगा। नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट (<https://districts.ecourts.gov.in/meerut>) पर देखी जा सकती है।

सूचना सूचनापट्ट में चस्पा की जाये एवं परिचालित की जाये।

अध्यक्ष,


कम्प्यूटर समिति,

जनपद न्यायालय, मेरठ।

दिनांक:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.सेन्ट्रल नाजिर, जनपद न्यायालय, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने और समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
3. अध्यक्ष, मेरठ बार एवं जिला बार एसोसिएशन, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- ✓4. नोडल अधिकारी- कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, मेरठ को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।


14.3.2022
अध्यक्ष,

कम्प्यूटर समिति,

जनपद न्यायालय, मेरठ।

जनपद न्यायालय, मेरठ।

जनपद न्यायालय, मेरठ की कम्प्यूटर समिति द्वारा शासनादेश सं० 1393/78-2-2011-26 आई०टी०/2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 06 वर्ष पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनकी नीलामी हेतु की गई संस्तुति की गई है। उक्त के अनुक्रम में कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों की सूची निम्नवत है-

Sr. no.	Name of Item	Total No.
1	HCL Winbee Thin Client with Monitor	183
2	HCL Slim Client with Monitor	61
3	TVS Dot matrix Printer	61
4	Uniline UPS (500VA) with battery	61
5	HP Scan Jet 8270	01
6	HP Laserjet printer P1008	61

Lathab
(अध्यक्ष) 21.3.2011
जनपद न्यायालय, कम्प्यूटर समिति
जनपद न्यायालय, मेरठ।